न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—61 / 2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

—–स्टेट

बनाम

राधेश्याम पुत्र सुरेश कुमार जाति धानक उम्र 24 साल निवासी वार्ड नं. 10 मण्डी पीलीबंगा, पुलिस थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

—–गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. श्री अलंकार सिंह अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय **दिनांकः—12.03.2022**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल राधेश्याम पुत्र सुरेश कुमार जाति धानक उम्र 24 साल निवासी वार्ड नं. 10 मण्डी पीलीबंगा, पुलिस थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो सट्टा की खाईवाली करने का आदि है एवं जवान उम्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। सट्टा समाज में बहुत बड़ी बुराई है। गैरसायल को पर्ची का अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, पीलीबंगा के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	मु. नं.	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	19/2017	13 आरपीजीओ	चालान	24.01.2017
2	154/2017	13 आरपीजीओ	चालान	07.04.2017
3	293/2017	13 आरपीजीओ	चालान	17.06.2017
4	264/2017	13 आरपीजीओ	चालान	14.06.2017
5	184/2017	13 आरपीजीओ	चालान	13.05.2017
6	151/2017	13 आरपीजीओ	चालान	10.08.2017
7	352/2017	13 आरपीजीओ	चालान	12.07.2017
8	407/2017	13 आरपीजीओ	चालान	04.08.2017
9	658/2017	13 आरपीजीओ	चालान	31.01.2018
10	13/2018	13 आरपीजीओ	चालान	14.02.2018
11	47/2018	13 आरपीजीओ	चालान	21.02.2018
12	86/2018	13 आरपीजीओ	चालान	05.04.2018
13	131/2018	13 आरपीजीओ	चालान	11.04.2018
14	73/2019	13 आरपीजीओ	चालान	22.04.2018
15	300/2019	13 आरपीजीओ	चालान	03.09.2019
16	354/2019	13 आरपीजीओ	चालान	20.09.2019
17	400/2019	13 आरपीजीओ	चालान	10.10.2019
18	539/2019	13 आरपीजीओ	चालान	14.11.2019

Web Copy - Not Official

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल राधेश्याम पुत्र सुरेश कुमार जाति धानक उम्र 24 साल निवासी वार्ड नं. 10 मण्डी पीलीबंगा, पुलिस थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित होकर हल्फनामा पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के वकील ने हल्फनामा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी राज. पब्लिक गैंबलिग ऑर्डिनेंस के अन्तर्गत हैं। जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा सन 2017 से 2019 में दुर्भावना से प्रेरित होकर रंजिशवश किये गये थे। इसके बाद प्रार्थी पर कोई मुकदमा नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह जीवन–यापन कर रहा है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि गैरसायल अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। गैरसायल द्वारा हल्फनामा इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी मेहनत–मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है। प्रार्थी खिलाफ पूर्व में जो मुकदमें लम्बित थे, उनका निस्तारण हो चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी पुलिस थाना अथवा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक कृत्य नहीं करूंगा व ना ही आपराधिक गतिविधियों में भाग लुंगा इसके लिये अपने आप को पाबंद करता हूं। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए इसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) में वर्णित अपराध कारित किये है जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को 100–100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2017 से 2019 में दर्ज किये गये है इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। वकील गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि गैरसायल राधेश्याम पुत्र सुरेश कुमार ने आज तक शांति बनाए रखी है। अब किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। गैरसायल वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन–यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में गैरसायल को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने व कस्बा में सामाजिक शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा ड्रॉप(Drop) किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़